



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 2256 / SEIAA/2023

Date: 13-12-23

कार्यालयीन ज्ञापन


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 818 वी बैठक दिनांक 29.11.2023 प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण स्वीकृति एवं पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण में निहित शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में निम्नानुसार नीतिगत निर्णय लिये गये हैं -

1. पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के छ:मासी अनुपालन प्रतिवेदनों की जानकारी प्रस्तुतीकरण के संबंध में :-

पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के प्रकरणों में ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के अंतर्गत कंडिका 10 के II एवं III में निहित निर्देशानुसार पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के छ:मासी अनुपालन प्रतिवेदनों की जानकारी भी परिवेश पोर्टल पर आवेदनों के साथ संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाये।

2. DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के पुनः परीक्षण (Re-Appraisal) हेतु आवेदित प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के छ:मासी अनुपालन प्रतिवेदनों की जानकारी प्रस्तुतीकरण के संबंध में :-

DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के पुनः परीक्षण (Re-Appraisal) हेतु आवेदित प्रकरणों में ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के अंतर्गत कंडिका 10 के II एवं III में निहित निर्देशानुसार पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के छ:मासी अनुपालन प्रतिवेदनों की पूर्ण जानकारी भी SEAC समिति के समक्ष संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत की जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. /SEIAA/2021 दिनांक -
प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, (IA Division), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
4. प्रबन्ध संचालक, राज्य खनिज निगम पर्यावास भवन ब्लॉक नं. 1 द्वितीय तल अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. सदस्य सचिव, SEAC एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
6. संचालक (वैज्ञानिक - एफ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली की ओर कृपया सूचनार्थ।
7. निर्देशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, लिंक रोड नं. 3 रविशंकर नगर भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
8. कलेक्टर, जिला (समस्त) म.प्र. की ओर जिला स्तर से यथोचित निर्णय जारी करने हेतु।
9. प्रभारी अधिकारी (अनुपालन), राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल।
10. पर्यावरणीय स्वीकृति धारक समस्त परियोजना प्रस्तावक की ओर पालनार्थ।
11. सर्व संबंधित की ओर कृपया सूचनार्थ।

सदस्य सचिव